



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 110]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 25, 2008/माघ 5, 1929

No. 110]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 25, 2008/MAGHA 5, 1929

कृषि मंत्रालय

(पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 2008

का.आ. 149(अ).—तटवर्ती जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 (2005 का 24) की धारा 4 की उप-धारा (3) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, भारत सरकार के कृषि मंत्रालय को दिनांक 22 दिसम्बर, 2005 की संख्या का.आ. 1803(अ) के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii), दिनांक 22 दिसम्बर, 2005 को प्रकाशित अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, नामतः :-

उक्त अधिसूचना में क्रम संख्या (ग) और उससे संबंधित प्रविष्टियों में, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाए, नामतः :-

“(ग) श्री मादेश्वरन, —सदस्य”

वैज्ञानिक-ई, भू विज्ञान मंत्रालय,
महासागर भवन,
ब्लॉक-12, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स,
लोधी रोड,
नई दिल्ली-110003

[फा. सं. 33036/3/2005-मा. (टी-2)]

अजय भट्टाचार्य, संयुक्त सचिव

नोट : मूल अधिसूचना को दिनांक 22 दिसम्बर, 2005 के संख्या का.आ. 1803(अ) के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित किया गया था। तदुपरांत दिनांक 25-8-2006 के संख्या का.आ. 1359(अ), दिनांक 13-12-2006 के का.आ. 2093(अ), दिनांक 8 अक्टूबर, 2007 के का.आ. 1720(अ) तथा 16 नवम्बर, 2007 के का.आ. 1947(अ) के तहत संशोधित किया गया था।

266 GI/2008

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th January, 2008

S.O. 149(E).—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (3) of Section 4 of the Coastal Aquaculture Authority Act, 2005 (24 of 2005), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture *vide* number S.O. 1803(E), dated the 22nd December, 2005 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 22nd December, 2005, namely :—

In the said notification, for serial number (c) and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

“(c) Shri Madeswaran, —Member”
Scientist - E,
Ministry of Earth Sciences,
Mahasagar Bhawan,
Block-12, C.G.O. Complex,
Lodhi Road, New Delhi-110003.

[F. No. 33036/3/2005-Py (I-2)]

AJAY BHATTACHARYA, Jr. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) and *vide* number S.O. 1803 (E), dated the 22nd December, 2005 subsequently amended *vide* number S.O. 1359(E), dated the 25th August, 2006; S.O. 2093(E), dated the 13th December, 2006; S.O. 1720(E), dated the 8th October, 2007 and S.O. 1947(L), dated the 16th November, 2007.